संजय कुमार केड़िया

बनाम

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एवं अन्य

03 दिसम्बर, 2007

[ऐसे.बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जे.जे.]

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985:

धारा 37- जमानत के लिए आवेदन प्रतिबंधित मनःप्रभावी पदार्थ की आपूर्ति की ऑनलाईन व्यवस्था के लिए नेटवर्क सुविधाएं प्रदान करने वाली कंपनियां-मालिक को अन्तर्गत धारा 24 व 29 गिरफ्तार किया गया- आवेदक की याचिका कि उसकी कंपनियों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 द्वारा अभियोजन से संरक्षित किया गया था- अभिनिर्धारितः अपीलकर्ता और उसके सहयोगी औई.टी. अधिनियम की धारा 79 में परिभाषित अनुसार निर्दोष मध्यस्थ या नेटवर्क सेवा प्रदाता नहीं थे, बल्कि उक्त व्यवसाय अधिक भयावह गतिविधि के लिए केवल एक दिखावा और छलावरण था-इस स्थिति में, धारा 79 उस आरोपी को बचाव नहीं देगी, जिसने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है क्योंकि यह प्रावधान केवल प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए अभियोजन से बचाव देता है- अत्यधिक प्रेरक साक्ष्य के सामने, जमानत देने के लिए अधिनियम की धारा 37 के तहत परिकल्पित निष्कर्ष देना संभव नहीं है

कि यह मानने के लिए उचित आधार थे कि अपीलकर्ता कथित अपराध का दोषी नहीं था या वह अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू नहीं करेगा, उसे जमानत दी जानी चाहिए- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000-धारा 79.

अपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 2007 का 1659

उच्च न्यायालय कलकत्ता के सी.आर.एम. संख्या 2007 के 5124 में निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 07.06.2007 से।

अपीलार्थी की और से के.टी.ऐसे. तुलसी और उदय उमेश ललित, अरूण कुमार श्रीवास्मा, मनोज प्रसाद, अमित पवन और जी. भार्गव।

उत्तरदाताओ की और से विकास सिंह, ए.ऐसे.जी., बी.बी. सिंह, बीनू टम्टा और सुषमा सूरी।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया-

आदेश

हरजीत सिंह बेदी, जे.1. विशेष अनुमति दी गई।

2. अपीलकर्ता संजय कुमार केडिया, एक उच्च योग्य व्यक्ति, ने दो कंपनियां मैसर्स एक्सपोनसे टेक्नोलॉजीज लिमिटेड(एक्स.टी.एल.) और मैसर्स एक्सपोनसे आईटी सर्विसेज प्रा. लिमिटेड(एक्स.औई.टी.) क्रमशः 22.4.2002 और 8.9.2004 को स्थापित की, जिन्हें भारतीय कंपनी

अधिनियम, 1956 के तहत विधिवत शामिल किया गया था। 1.2.2007 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अधिकारियों ने अपीलकर्ता के आवास और कार्यालय परिसर में तलाशी ली, परन्तु कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985(इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया) की धारा 67 के तहत जारी नोटिस के तहत उसे कई मौकों पर एनसीबी के सामने पेश होने के लिए भी कहा गया था और अंततः गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों कंपनियों के बैंक खाते और परिसर भी जब्त या सील कर दिए गए। 13.3.2007 को अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि धारा 24 और 29 के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया गया और अनुसंधान अभी तक पूरा नहीं हुआ था। इसके बाद अपीलकर्ता ने 16.4.2007 को उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी जमानत याचिका दायर की, जिसे भी इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में थी और विभाग को अपनी जांच करने और तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि कथित अपराधों का समाज पर व्यापक प्रभाव था। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद अपीलकर्ता द्वारा विशेष न्यायाधीश के समक्ष जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे 28.5.2007 को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया था कि अनुसंधान अभी भी जारी था। इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने

4.6.2007 को उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए एक और आवेदन दायर किया, जिसे 7.6.2007 को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के खिलाफ वर्तमान अपील दायर की गई है।

3. 30.7.2007 को विशेष अनुमति याचिका पर एक डिवीजन बेंच द्वारा नोटिस जारी किया गया था, जिसमें श्री तुलसी द्वारा उठाए गए विवाद पर ध्यान दिया गया था कि दो कंपनियां जैसे सेवा प्रदाता जो मध्यस्थ थी, उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 द्वारा अभियोजन से संरक्षित किया गया था। प्रतिवादी एनसीबी की ओर से जवाब में एक हलफनामा और अपीलकर्ता द्वारा उसके जवाब में एक प्रत्युत्तर हलफनामा भी दायर किया गया है।

4. हमने पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

5. श्री तुलसी ने सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण तर्क दिया है कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप यह थे कि उन्होंने प्रतिबंधित मनःप्रभावी पदार्थों क आपूर्ति की ऑनलाइन व्यवस्था के लिए अपनी कंपनियों द्वारा प्रदान की गई नेटवर्क सुविधाओं का उपयोग किया था, लेकिन यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं था कि अपीलकर्ता मनःप्रभावी पदार्थों से निपटने में शामिल है या किसी ऐसे व्यापार में लगा हुआ है या नियंत्रित है जिसके तहत भारत के बाहर प्राप्त ऐसे पदार्थ को भारत के बाहर के व्यक्तियों को आपूर्ति की गई थी और इस तरह अधिनियम की धारा 24 के

तहत अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है। अपीलकर्ता के विरुद्ध अधिनियम बनाया गया था। इस तर्क को विस्तृत करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता ने कथित तौर पर जिन दो पदार्थों की आपूर्ति की व्यवस्था की थी, वे फेंटर्मिन और बटलबिटल थीं और चूंकि ये दवाएं अधिसूचना दिनांक 21.2.2003 के संदर्भ में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1987 की अनुसूची- । में शामिल नहीं थीं और संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू एक कानून, नियंत्रण पदार्थ अधिनियम द्वारा भी मान्यता प्राप्त थी, जिसमें दुरुपयोग की कम संभावना थी और इन दवाओं को डॉक्टर के लिखित या मौखिक नुस्खे पर प्राप्त करना संभव था, इन दवाओं की आपूर्ति धारा 24 के कृत्य के तहत नहीं आता है। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि इस परिस्थिति में, कंपनियां केवल नेटवर्क सेवा प्रदाता थीं, जिन्हें धारा 79 प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया था।

6. उत्तरदाताओं की और से विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री विकास सिंह ने हालांकि बताया है कि उपरोक्त दवाएं संबंधित अधिनियम से जुड़ी अनुसूची में मनःप्रभावी पदार्थों की सूची(क्रम संख्या 70 और 93 पर) है, इससे यह स्पष्ट था कि दोनों दवाएं मनःप्रभावी पदार्थ थीं और इसलिए अधिनियम के अधीन थीं। यह भी बताया गया है कि अपीलकर्ता पर अधिनियम की धारा 24 और 29 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था, जिसमें कल्पना की गई थी कि एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से एक

मनःप्रभावी पदार्थ का उपयोग किए बिना दोषी हो सकता है और अब तक एकत्र किए गए सबूतों से पता चला है कि अपीलकर्ता वास्तव में खरीददारों और कुछ फार्मेसियों, जो या तो उसके स्वामित्व की या वाली या उसके द्वारा नियंत्रित या दो कंपनियों से जुड़ी हुई है, के बीच सुविधा प्रदान करने वाला था अौर प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 किसी भी हद तक अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभियोजन से छूट की गारंटी नहीं दे सकती है।

7. अधिनियम की अनुसूची से यह स्पष्ट है कि दो दवाएं फेंटर्मिन और बटलबिटल मनःप्रभावी पदार्थ हैं और इसलिए धारा 8 में निहित निषेध के अंतर्गत आती हैं। अपीलकर्ता पर अधिनियम की धारा 24 और 29 के तहत दंडनीय अपराधों के तहत आरोप लगाया गया है। ये अनुभाग नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

> 24. "धारा 12 के उल्लंघन में स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों में बाह्य व्यवहार के लिए दण्ड – जो कोई किसी ऐसे व्यापार में लगेगा या उसका नियंत्रण करेगा, जिसके द्वारा कोई स्वापक औषधि या कोई मनःप्रभावी पदार्थ केन्द्रीय सरकार के पूर्व प्राधिकार के बिना या धारा 12 के अधीन दिए गए ऐसे किसी प्राधिकार की शर्तों से(यदि कोई हों) अन्यथा भारत के बाहर अभिप्राप्त किया जाता है और

उसका भारत से बाहर किसी व्यक्ति को प्रदाय किया जाता है, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगाः

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।"

29. दुष्प्रेरण और आपराधिक षडयंत्र के लिए दंड - (1) जो कोई भी इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा या ऐसा कोई अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र का पक्षकार होगा, वह चाहे ऐसा अपराध ऐसे दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप या ऐसे आपराधिक षड्यंत्र के अनुसरण में किया जाता है या नहीं किया जाता है और भारतीय दंड संहिता, 1860(1860 का 45) की धारा 116 में किसी बात के होते हुए भी, उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा।

(2) वह व्यक्ति इस धारा के अर्थ में किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है या ऐसा कोई अपराध करने के आपराधिक

षड्यंत्र का पक्षकार होता है जो भारत में, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में ऐसा कोई कार्य किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है या ऐसे आपराधिक षड्यंत्र का पक्षकार होता है, जो-

(क) यदि के भारत के भीतर किया जाता तो, अपराध गठित करतार; या

(ख) ऐसे स्थान की विधियों के अधीन स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित ऐसा अपराध है, जिसमें उसे ऐसा अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित वैसी ही या उसके समरूप सभी विधिक शर्त हैं जैसी उसे इस अध्याय के अधीन दंडनीय अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित विधिक शर्तें होती यदि ऐसा अपराध भारत में किया जाता।

8. धारा 24 के अवलोकन से पता चलता है कि यह भारत के बाहर नियंत्रित और आपूर्ति की जाने वाली स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के व्यापार में संलग्नता या नियंत्रण से संबंधित है और धारा 29 में अध्याय IV के अंतर्गत अपराध, जिसमें धारा 24 शामिल है, करने के लिए उकसाने या आपराधिक साजिश करने से उत्पन्न होने वाले दंड का प्रावधान है। हमने तदनुसार श्री तुलसी के तर्क के आलोक में मामले के तथ्यों की जांच की है कि कंपनियां अधिनियम के तहत अपराध के कमीशन के बारे

में किसी भी जानकारी के बिना केवल तीसरे पक्ष को डेटा और जानकारी प्रदान करती हैं। हमने एनसीबी के उप निदेशक श्री एपी सिद्दीकी के हलफनामे का अध्ययन किया है और जांच पर निकले निष्कर्षों को उनके शब्दों में दोहराया है।

> "(i) आरोपी और उसके सहयोगी उक्त अधिनियम की धारा 79 के तहत परिभाषित अनुसार मध्यस्थ नहीं हैं, क्योंकि उनके कार्य और कर्म केवल एनडीपीऐसे अधिनियम के तहत अपराध के ज्ञान के बिना तीसरे पक्ष के डेटा या जानकारी के प्रावधान तक सीमित नहीं थे। कंपनी (एक्सपोनसे टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और एक्सपोज आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, संजय केडिया के नेतृत्व में) ने फार्मास्युटिकल वेबसाइटों को डिजाइन, विकसित, होस्ट किया है और इन वेबसाइटों का उपयोग कर रही है, भारी मात्रा में मनःप्रभावी पदार्थ (फेन्टरमाइन और बटलबिटल) उसके सहयोगियों की मदद से यू.ऐसे.ए. में वितरित किए गए हैं। निम्नलिखित ऑनलाइन फ़ार्मेसी वेबसाइटें हैं जिनका स्वामित्व एक्सपोनसे या संजय केडिया के पास है।
>
> (1) Brotherpharmacy.com और LessRx.Com: Brotherpharm acy.com, ऑनलाइन फार्मेसी की पहचान

फार्मास्युटिकल दवाओं के लिए एक मार्केटिंग वेबसाइट (फ्रंट एंड) के रूप में की गई थी। lessRx.com को एक "बैक एंड" साइट के रूप में पहचाना गया है जिसका उपयोग Brotherpharmacy.com के माध्यम से फार्मास्युटिकल दवाओं के ऑर्डर संसाधित करने के लिए किया जा रहा था। lessRx.com के पंजीकरणकर्ता और प्रशासनिक संपर्क 29 बी, रवीन्द्र सारणी, कोलकाता, भारत-700073 पर स्थित को ट्रू वैल्यू फार्मेसी सूचीबद्ध किया गया था, टेलीफोन नंबर 033-2335-7621, जिसका पता 203.86.100.95 है। निम्नलिखित वेबसाइटें भी इस आईपी पते का उपयोग कर रही थीं:

ALADIESPHARMACY.com,

ExpressPHENTERMINE.com,

FAMILYYONLINEPHARMACY.com

ONLINEEXPRESSPHARMACY.com,

SHIPPEDLIPITOR.com

lessRx.com(आईपी पता: 203.86.100.95) के लिए डोमेन नेम सर्वर NS.PALCOMONLINE.com और NS2PALCOMLINE.com थे।

lessRx.com की वेबसाइट होस्टिंग कंपनी की पहचान पेकोम वेब प्राइवेट लिमिटेड, C-56/14,पहली मंजिल, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा-201301 के रूप में की गई थी। संजय केडिया ने वीऐसेएनएल, दिल्ली में पालकॉम को होस्टिंग का काम सौंपा। इन सर्वरों को जब्त कर लिया गया है। पालकॉम वेब प्राइवेट लिमिटेड के प्रोप. श्री आशीष चौधरी के स्वैच्छिक बयान से संकेत मिलता है कि उन्होंने एक्सपोनसे की ओर से वेबसाइटों का रखरखाव किया।

बैंक रिकॉर्ड के अनुसार, ब्रदर्स फार्मेसी, इंक के वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक खाते #0971709674 से एक्सपोनसे आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एबीएन एमरो बैंक खाता संख्या 1029985, कोलकाता में धनराशि भेजी गई थी।

(2) Deliveredmedicine.com: Xponse की वेबसाइट-XPONSEIT.com की समीक्षा की गई और उसका अवलोकन किया गया और XPONSERX के लिए विज्ञापन दिया गया। उस XPONSERX को ऑनलाइन फ़ार्मेसियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विकसित एक सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म के रूप में वर्णित किया गया था। Xponserx को इंटरनेट फ़ार्मेसी ऑर्डर संसाधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ड्रग

एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए), यूऐसेए ने डोमेन नाम XPONSERX.COM पर "whois" रिवर्स लुकअप किया, जो कि Domaintools.Com पर था और इससे पता चला कि XPONSERX.COM को Xponse IT Services प्राइवेट लिमिटेड, संजय केडिया, 29B, रवीन्द्र सरानी, 12 ई, तीसरी मंजिल, कोलकाता, डब्ल्यूबी 70073 के साथ पंजीकृत किया गया था। टेलीफोन नंबर +91- 9830252828 को Xponse के लिए प्रदान किया गया था। दो वेबसाइटों को Xponse के लिए प्रदान किया गया था दो वेबसाईटो DELIVEREDMEDICINE.COM और TRUEVALUEPRESCRIPTIONS.COM को XPONSEIT.COM वेबसाइट पर फ़ीचर्ड क्लाइंट के रूप में प्रदर्शित किया गया था। समीक्षा से पता चला कि ये दोनों वेबसाइटें इंटरनेट फ़ार्मेसी थीं।

फलस्वरूप, डी.ई.ए. द्वारा कराए गए Domainstools.com पर डोमेन नाम DELIVEREEDMEDICINE.COM पर "whois" रिवर्स लुक-अप से पता चला कि यह Xponse Inc., 2760 पार्क एव., सांता क्लारा, सी.ए., यू.ऐसे.ए. में पंजीकृत था, जो संजय केडिया का पता है।

(3) Truevalueprescriptions.com: इस वेबसाइट की समीक्षा से संकेत मिलता है कि यह वेबसाइट एक इंटरनेट फ़ार्मेसी थी। इसके अलावा TRUEVALUEPRESCRIPTIONS ने फ़ेंटर्मिन को बिक्री के लिए उपलब्ध दवा के रूप में सूचीबद्ध किया है। ऐसा प्रतीत हुआ कि दवाओं के ऑर्डर TRUEVALUE वेबसाइट से बिना प्रिस्क्रिप्शन के दिए जा सकते हैं, यह नोट किया गया कि दवाओं के ऑर्डर डॉक्टर को दिखाए बिना भी दिए जा सकते हैं। वेबसाइट के अनुसार, एक ग्राहक किसी चिकित्सक के कार्यालय में शारीरिक परीक्षण के बदले दवा का ऑर्डर देते समय एक ऑनलाइन प्रश्नावली पूरी कर सकता है। ग्राहक सेवा के लिए TRUEVALUE वेबसाइट पर टोल फ्री टेलीफोन नंबर 800-590-5942 प्रदान किया गया था।

डी.ई.ए. ने Domaintools.com पर डोमेन नाम TRUEVALUEPRESCRIP TIONS.COM पर "whois" रिवर्स लुक-अप किया और पता चला कि औई.पी. पता 203.86.100.76 था और वेबसाइट को होस्ट करने वाला सर्वर पालकॉम, दिल्ली में स्थित था, जो एक्सपांस का भी है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि एक्सपोनसे टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और एक्सपोनसे आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड केवल एक नेटवर्क सेवा प्रदाता के रूप में काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वास्तव में इंटरनेट फार्मेसी चला रहे थे और फेंटर्मिन और बटलबिटल जैसी प्रिस्क्रिप्शन दवाओं से निपट रहे थे।

9. इस प्रकार हमने पाया कि अपीलकर्ता और उसके सहयोगी प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत परिभाषित निर्दोष मध्यस्थ या नेटवर्क सेवा प्रदाता नहीं थे, बल्कि उक्त व्यवसाय अधिक भयावह गतिविधि के लिए केवल एक दिखावा और छलावरण था। इस स्थिति में, धारा 79 उस आरोपी को बचाव नहीं देगी जिसने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है क्योंकि यह प्रावधान केवल प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए अभियोजन से बचाव देता है।

10. इसलिए हमारी राय है कि अत्यधिक प्रेरक साक्ष्य के सामने, जमानत देने के लिए अधिनियम की धारा 37 के तहत परिकल्पित निष्कर्ष देना संभव नहीं है कि यह मानने के लिए उचित आधार थे कि अपीलकर्ता कथित अपराध का दोषी नहीं था। जिस अपराध का आरोप लगाया गया है, या वह अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू नहीं करेगा, उसे जमानत दी जानी चाहिए।

11. ऊपर दर्ज कारणों से, हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते है, जिसे तदनुसार खारिज किया जाता है। हालाँकि, हम यह पाते हैं कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ जमानत मामले पर विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों के संदर्भ में हैं, जो हमें उनसे निपटने के लिए बाध्य करती हैं, और किसी भी तरह से मुकदमे की कार्यवाही या निर्णय को प्रभावित नहीं करेंगी।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवाद न्यायिक अधिकारी श्रीमती मोनिका खीचड़ (आर.जे.एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।